भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3915
25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : किसानों को सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता
3915. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेरः
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) पंजाब के मालवा क्षेत्र में भूजल की कमी को दूर करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, क्योंकि संगरूर और मलेरकोटला जिलों सहित यह क्षेत्र गंभीर भूजल कमी का सामना कर रहा है और सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम) पानी के संरक्षण और दक्षता में विशेष रूप से सब्जी और बागवानी खेती के लिए सुधार करने में मदद कर सकती है;
(ख) क्या किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, विशेष रूप से सब्जियों और बागवानी के लिए अपनाने के लिए कोई सब्सिडी या वित्तीय प्रोत्साहन हैं;
(ग) क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई के वर्तमान कवरेज का ब्यौरा क्या है और भविष्य के लक्ष्य क्या हैं; और
(घ) क्या संगरूर और मलेरकोटला के लिए इसके महत्वपूर्ण सब्जी और बागवानी उत्पादन और उच्च पानी की मांग को देखते हुए कोई विशेष पहल है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) : प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) स्कीम, वर्ष 2015-16 से पंजाब राज्य सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है। पीडीएमसी सूक्ष्म सिंचाई, अर्थात् ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह स्कीम मालवा क्षेत्र सहित पंजाब के सभी जिलों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) : पीडीएमसी स्कीम के तहत, सब्जियों और बागवानी फसलों सहित विभिन्न फसलों के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने हेतु छोटे व सीमांत किसानों और अन्य किसानों को क्रमशः इकाई लागत का 55% और 45% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, पंजाब राज्य सरकार किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त टॉप-अप सब्सिडी प्रदान कर रही है।

(ग) : पंजाब सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2015-16 से फरवरी, 2025 तक मालवा क्षेत्र में पीडीएमसी स्कीम के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 26,104 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।

(घ) : पंजाब सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, संगरूर और मलेरकोटला जिलों में सब्जी और बागवानी फसलों सहित विभिन्न फसलों की खेती के लिए पानी की उच्च मांग को पूरा करने के लिए, पंजाब सरकार नहर के आउटलेट से जोड़कर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है ताकि अंतिम छोर और दूर-दराज के क्षेत्रों की सिंचाई की जा सके।

*****